न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 03 / 2023(GCMS 2023/2-18)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **हरबन्स सिंह** पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख, निवासी ग्राम 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **सक्षम प्रधाकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी तहसील–श्रीकरणपुर** जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री तेजा सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 12 ओ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 10 के बीघा नं. 1, 2, 9, 10, 11, 20 व 21 एवं मुरब्बा नं. 11 के बीघा नं. 15, 16 व 25 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निहित हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

उनका का आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में किन्नू के पेड़--पौधों के संबंध में पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 24.06.2022 इसलिये भी निरस्त / संशोधित किये जाने योग्य है कि सहयक निदेशक उद्यान की

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों व ड्रीप के अलावा भी ऐसे पेड़–पौधों व ड्रीप को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। धारा 3ए की अधिसूचना के तत्समय की गूगल अर्थ ईमेज के अनुसार लगभग 150 से 171 पौधे ही अवाप्ति में आये है, लेकिन कमेटी सदस्यों ने मिलीभगत कर अवाप्ति से बाहर स्थित पौधों को भी अवाप्ति में बताकर 150 से 171 पौधों के स्थान पर 512 पौधों की अनुचित मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गयी, जिसकी सक्षम प्राधिकरी ने धारा 3ए की अधिसूचना की तत्समय की मौकास्थिति की बिना जाँच किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी खातेदार द्वारा सहायक निदेशक उद्यान ने दौराने बहस न्यायालय में बताया कि अप्रार्थी खातेदार द्वारा प्रश्नगत पेड़–पौधों का विभाग से अनुदान मिलने के बाद लगाये गये है, लेकिन इस संबंध में प्रार्थी को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये है। ऐसी दशा में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा संबंधित अनुदानित विभाग से अनुदान की पत्रावली तलब कर यह जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि अप्रार्थी खातेदार को कौनसे मुरब्बा/किला के कितने रकबे की भूमि हेतु अनुदान कब मिला था व अनुमोदन मिलने के उपरान्त कब उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार अवाप्तधीन भूमि पर प्रश्नगत 512 किस्म के पौधे रोपित किये हुए है, आदि–आदि की जांच संबंधित विभाग व पटवारी द्वारा पौधों की संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि से पुष्टि की जा सकती है, जिससे प्रश्नगत 512 पौधे अवाप्तधीन भूमि पर नही होना साबित हो जावेगा। उद्यान विभाग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मापदण्डानुसार रोपित पौधें जो अवाप्ति में आ रहे है, उनका ही मुआवजा अप्रार्थी खातेदार प्राप्त करने का अधिकारी है, अन्य पौधों का नही। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेज की जांच किये बिना ही प्रश्नगत पेड़–पौधों का आलोच्य अवार्ड पारित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे निरस्त/ संशोधित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांकः– एफ / 2022–23 / 387 दिनांक 04.05.2022 में ऐसे पौधे जो उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार रोपित नहीं किये गये, उन पौधों का केवल आधार मूल्य ही मुआवजा राशि के रूप में दिया जाना उचित माना है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा अनुदान पत्रावली/गिरदावरी/पटवारी द्वारा पौधों की संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि की जाँचोपरान्त प्रश्नतगत पौधे में से जो पौधे उद्यान विभाग के मापदण्डों के विरूद्ध पाये जाते है, तो उन पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपयुक्त जाँच के बिना पारित आलीच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है ।

उनका का आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान– श्रीगंगानगर द्वारा भाराराप्रा की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के पौधे की मूल्यांकित राशि 14220/– निर्धारित कर अपने पत्रांक [illegible] दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी है। लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर में प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ़ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान है ऐसी दशा में उपरोक्तानुसार ही प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्नगत किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए था। अतः किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि को घटाते हुए आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में मुआवजा राशि का निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता / पारदर्शिता नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधों का बाजार भाव व उम्र नियम विरूद्ध तय किया है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव, उम्र के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/ लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, जिस पौधे को जिस आयु में अवाप्त किया जाता है वही तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बना कर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्यांकन किया जाता है जो कि हनुमानगढ़ में भी कर दिया गया है। जबकि सीमावर्ती राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मूल्यांकन किया जाता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका का आगे यह भी कथन है कि भा.रा.रा.प्रा. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की रोशनी में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा पारित पेड़–पौधों का संरचना अवार्ड दिनांक 24. 06.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अन्य कोई विधि सम्मत आदेश, जो श्रीमान मध्यस्थ महोदय, प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में उचित समझे पारित करने की कृपा करें।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि चक 12 ओ मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 एंव मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15, 16, 25 की भूमि आवाप्त करने लिए राज्य सरकार द्वारा नैशनल हाईवे एक्ट धारा 3ए तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को प्रकाशित की गयी थी उसके बाद आवाप्त की कार्यवाही की गयी, 21 दिन का नोटिस दिया गया। एतराज सुनकर दिनांक 26.05.2021 को भूमि का अवार्ड जारी किया और दो पेपरों में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि बागवानी के सम्बन्ध में 2021 में सहायक निदेशक उधान विभाग को नियुक्त करके मौका देखा गया। सहायक निदेशक उधान विभाग की टीम के साथ जयपुर की टीम साथ में जाकर पोधों का मूल्यांकन किया गया और उसके धारा 3डी के तहत उसको अन्तिम रूप मानकर सैन्टर गवर्मेन्ट को प्रेषित की [illegible] गवर्मेन्ट ने उसका फाईनल 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर भूमि तब तक भारत सरकार में निहित नहीं होती जब तक पोजेशन लेने से पहले राशि खातेदार के नाम से जमा न करवा दी जावे। उक्त मामले में आज तक राशि जमा नहीं करवायी। इसलिए विल्लंगमों से मुक्त भारत सरकार में भूमि निहित नहीं मानी जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि आवाप्ति क्षेत्र से बाहर पेड़ पोधे या ड्रिप का मूल्यांकन नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त बाग लगाने से पहले 2005–06 में लगाने के लिए अप्लाई किया था दिनांक 05.07.2008 में सहायक निदेशक विभाग से अनुदान लेकर ही बाग लगाया गया है। जहां तक गूगल का अर्थ है इसमें लगभग 150 से लेकर 175 पोधे दिखाना याचिकाकर्ता ने दर्ज किया है जबकि यह सरासर गलत है। प्रार्थी को जब अनुदान मिला था उस समय नहरी पानी राज्य सरकार द्वारा अनुदान देते समय ड्रिप की शर्त रखी गयी थी। प्रार्थी ने डिग्गी बनाकर ड्रिप से सिचांई करने की जो कंडीशन लगायी थी वह पूरी की और ड्रिप के अन्तर्गत बाग में लगाने हेतु फलदार पोधे (गड्ढों की आपसी दूरी एवं पोधे लगाने व रूपाई का समय की शर्त सहायक निदेशक उधान विभाग द्वारा दी गयी थी और उसमें एक पुस्तिका भी प्रार्थी को दी गयी दी, उसी के अनुसार 5 बीघा 10 बिस्वा में पौधे लगाये गये थे जिसकी दूरी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ड्रिप सिस्टम के आधार पर पूरी प्रक्रिया करते हुए लगाये गये थे।

उनका आगे यह भी कथन है कि जहां तक याचिकाकर्ता ने लिखा है कि इस सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य प्राप्त की जा सकती है। उक्त मुकदमें में याचिकाकर्ता द्वारा बहस करने से पूर्व अपने तथ्यों को साबित करना था। उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। बहस हो चुकी है। याचिकाकर्ता अपना बर्डन ऑफ प्रूफ अदालत पर नहीं डाल सकता और न ही अदालत ऐसा करने के लिए अधिकृत है। इसलिए जो तथ्य अंकित किये हैं वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बिना आधार अंकित किये है। रिपोर्ट जो की गयी है तीन कमेटीयों द्वारा की गयी है जो बिल्कुल सही की गयी है। बहस में दर्ज तथ्य काबिले खारिजी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दस्तावेज पेश करना का कर्तव्य याचिकाकर्ता का था। याचिकाकर्ता द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यह बर्डन अदालत पर डाल रहे है। जबकि इसका भी प्रार्थी कर्तव्य याचिकाकर्ता का था और याचिकाकर्ता द्वारा ही पेश किया जाना था। इसकी जांच की जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी का किन्नू का बाग लगा हुआ है। अनुदान लेकर लगाया गया है और यह 2008–09 में लगाया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता ने बिना किसी आधार के पहले याचिका पेश की अब लिखित बहस देकर इसे लम्बा कर रहा है। लेकिन खुद द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया कि वहां बाग न हो। बाग को एडमिट करते हैं लेकिन यह कहते हैं कि सहायक निदेशक विभाग द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया । यह बर्डन अप्रार्थी या अदालत पर नहीं डाला जा सकता।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 04.05.2022 के अवार्ड में अनुदान विभाग के मापदण्ड के अनुसार ही पोधे आरोपित किये गये थे। उनके द्वारा सहायक निदेशक अनुदान श्रीगंगानगर द्वारा पुस्तिका दी थी, पुस्तिका में बाग लगाने की दूरी व पोधे का विवरण दिया था जिसमें ड्रिप से जो बाग लगेगा वह 6•4 मीटर पर लगेगा और उसमें 515 पोधे लगाये जावेंगे। जबकि अप्रार्थी के तो 512 पोधे लगे है। प्रार्थी द्वारा जो पैटीशन पेश की गयी है उससे बाहर जाकर लिखित बहस दी गयी है जबकि पैटीशन से बाहर प्रार्थी नहीं जा सकता। इसलिए यह बहस किसी भी हालत में कन्सीडर नहीं की जा सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि बहस [illegible] के बाद अब निर्णय के लिए तारीख निश्चित है तो अब लिखित बहस [illegible] दर्ज नहीं है। लिखित बहस में दर्ज तथ्य को कन्सीडर न करते हुए खारिज [illegible] फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी का बाग में से जो सडक निकली है वह कुतरी निकली है जिससे बाग पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सहायक निदेशक उधान द्वारा जो पोधे साईड में आ रहे हैं उनकी भी गणना नहीं की गयी है। सडक बनने के बाद भी दोनो तरफ से पोधों को काटना पडेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हनुमानगढ द्वारा धारा 3ए की दिनांक के बाद जिस दिनांक को विभाग द्वारा सर्वे किया है उसी दिनांक के आधार पर मुआवजा दिया गया है। उधान विभाग की 2021 की सर्वे रिपोर्ट को ही आधार मानकर गणना की गयी है। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक का ब्याज भी प्रार्थी को दिलाया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड जारी किया गया है वह विधि अनुसार जारी किया गया है। प्रार्थी की याचिका मय खर्चा खारिज करवाकर आज तक ब्याज राशि जमा करवाने जाने का आदेश प्रदान करें।

मैंने उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि नेशनल हाईवे द्वारा अप्रार्थी हरबन्स सिंह की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले मे भारतमाला परियोजना पैकेज के 34.500 कि.मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी हरबन्स सिंह की भूमि ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 10 के बीघा नं. 1, 2, 9, 10, 11, 20 व 21 एवं मुरब्बा नम्बर 11 के बीघा नं. 15, 16 व 25 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी [illegible] उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवार्ड दिनांक 24.0[illegible] रुपये एवं मुआवजा राशि के समतुल्य की तोषण राशि 2,40,43[illegible]6/– को मिलाकर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4,80,86,752/– का मुआवजा निर्धारण किया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 24.06.2022 को 3ए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 2,40,43,376/– रूपये एवं मुआवजा राशि के समतुल्य की तोषण राशि 2,40,43,376/– को मिलाकर कुल 4,80,86,752/– का मुआवजा राशि **तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?**

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि अप्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
> **(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**
> (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;
> (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
> (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.042018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है। गाईडलाई का पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)**

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land shall be duly factored while determining the compensation. It is in this context that the DPR consultants are expected to note the status of land at the

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

उक्त वर्णित राजष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि/बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि/बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है [illegible] 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी [illegible] की [illegible] की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति [illegible] थी? पर विचार करके ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुआवजा राशि तय की जानी थी। उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि/उस पर किसी प्रकार का निर्माण/पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। अप्रार्थी हरबन्स सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को प्रेषित की है। उक्त मौक निरीक्षण को अवाप्त की गई भूमि में कुल 512 पौधे 13 वर्ष के, पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान), श्रीगंगानगर, प्रोजेक्ट इंचार्ज एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है।

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अनुसार कम मुआवजा राशि देय बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.09.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 512 पौधे 13 वर्ष के बताये गये है, इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 में अंकित कुल 512 पौधों की आयु 13 वर्ष बताई गई है, उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?, इस पर विचार करना उचित होगा।**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 17.09.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 17.09.2021 को कुल 512 पौधों की आयु 13 वर्ष बताई गई है। उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को यदि तर्क के लिए एक बार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि कुल 512 पौधे बताये गये है, जो दिनांक 17.09.2021 करे 13 वर्ष के बताये गये है। **सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 17.09.2021 की स्थिति के अनुसार जो Value of Structure-Horticulture राशि 2,40,43,376/— एवं Value of Structure-Horticulture के समतुल्य ही 100 प्रतिशत तोषण (Solatium) राशि 2,40,43,376/— को मिलाकर कुल राशि 4,80,86,752/— सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा तय की गई है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है** क्योंकि पत्रावली में **जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 (वास्तविक सम्वत् 2070) के अनुसार अप्रार्थी हरबन्स सिंह की सम्पत्ति ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं. 1,2,9,10,11,20,21 एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15, 16, 25 में भूमि का प्रकार नहरी दिखाया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सम्वत् 2070—73 से अप्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का बाग अस्तित्व में नहीं था।** इसी प्रकार पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी सम्वत् 2074 (खरीफ गिरदावरी 15 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017) के अनुसार मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 में बाग, किला नम्बर 2/1 में बाग (0.126) एवं 2/2 में नरमा(0.127), किला नम्बर 9 में नरमा, किला नम्बर 10 में बाग, किला नम्बर 11 में बाग, किला नम्बर 24 व 25 में ग्वार एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15/1 में बाग(0.126) व 15/2 मे ग्वार(0.127), किला नम्बर 16 में ग्वार एवं किला नम्बर 25 में मूंग अंकित है। **उद्यान विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15, 16, 25 में बाग होना अंकित किया है और उक्त भूमि पर 512 किन्नू के पौधे होना बताया है जबकि तहसीलदार करणपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1, 2, 9, 10, 11 व मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर ... में किन्नू का बाग लगा होना**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बताया है। इस प्रकार तहसीलदार, करणपुर की रिपोर्ट 17.06.2022 के अनुसार मुरब्बा नं. 10 के किला नम्बर 20 व 21 एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 16 व 25 में बाग नहीं था, जबकि उद्यान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अंकित मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बा 20, 21 व मुरब्बा नम्बर के किला नम्बर 16 व 25 में बाग था।

इसीप्रकार गिरदावरी सम्वत् 2077(खरीफ गिरदावरी 15 सितम्बर 2020 से 15 अक्टूबर 2020) के अनुसार मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 में बाग(0.253), किला नम्बर 2/1 में बाग (0.126) एवं 2/2 में नरमा (0.127), किला नम्बर 9/1 में ग्वार (0.126) व 9/2 में बाग (0.127), किला नम्बर 10 में बाग(0.253), किला नम्बर 11/2 में बाग(0.127), किला नम्बर 20 में ग्वार (0.253) एवं किला नम्बर 21 में ग्वार (0.253), मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15/1 में नरमा (0.127) व 15/2 मे बाग (0.126) एवं किला नम्बर 25 में नरमा (0.227) में अंकित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली में उपलब्ध उद्यान विभाग की रिपोर्ट एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का जमाबन्दी एवं गिरदावरी से मिलान नहीं होता है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किन्नू के पौधों के सम्बन्ध में दिया गया तर्क विचारणीय है।

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को मौजूद पौधों की आयु 01 वर्ष बनती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किन्नू के पौधों की संख्या 341 एक बार के लिए मान भी लिया जाये तो **तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान आयुक्तालतय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162–4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार — मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) — पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जबकि एक के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 372/— रूपये है। इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1116/– रूपये बनता है। **इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को मौजूद पौधों की मुआवजा राशि 3,80,556/– रूपये ही बनती है एवं मुआवजा राशि के समतुल्य 100 प्रतिशत तोषण राशि 3,80,556/– है इसप्रकार अप्रार्थी को दी जाने वाली कुल राशि 7,61,112/– बनती है जबकि सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा मुआवजा राशि 4,80,86,752/– (अखरे रूपये चार करोड़ अस्सी लाख छियासी हजार सात सौ बावन मात्र)(Value of Structure – Horticultue + Solatium at 100%) बनाई गई है** जबकि भा.रा.रा.प्रा के प्रार्थना, पत्रावली में उपलब्ध गिरदावरी सम्वत् 2074 –2077 (सम्वत् 2074 – खरीफ गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर) एवं जमाबन्दी में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 7,61,112/– रूपये बनती है। **इस प्रकार मुआवजा राशि में 4,73,25,640/– अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।**

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत् 2074–77(सम्वत् 2074 – खरीफ गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर) के अनुसार दिनांक 02.04.2018 को मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1(0.253), 2/1,(0.126) 10(0.256), 11(0.253) एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15/1(0.126) बाग है किन्तु इस गिरदावरी के अनुसार धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को एक वर्ष का बाग होना प्रतीत होता है। इसलिए गिरदावरी(सम्वत् 2074 – खरीफ गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर) एवं जमाबन्दी की स्थिति अनुसार भी अप्रार्थी की भूमि पर मौजूद पौधों का आधार मूल्य के बराबर मुआवजा राशि देय हो सकती है। अप्रार्थी ने सम्वत् 2074–77 (सम्वत् 2074 – खरीफ गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर) पूर्व का बाग होने के सम्र्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। माननीय राजस्व मण्डल,

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष .....

गांव का नाम ..... गिरदावर वृत .....

तहसील ..... जिला.....

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'–1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल ..... भू.अ.नि.वृत ..... तहसील .....

जिला ..... वर्ष .....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र–3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील ....

जिला श्रीगंगानगर संवत .... वर्ष 2022–23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमं फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ–1 एवं 2 **मुरब्बा नम्बर 10 के किला नं. 1,2,9,10,11,20,21 एवं मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 15, 16, 25** में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरीयां प्रस्तुत नहीं की गई जबकि उक्त गिरदावरी सम्वत् 2074–77 जो दिनांक 28.03.2017 की स्थिति की है जिसमें फसल खरीफ की गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर 2017 से 15 अक्टूबर 2017 ही होती है। धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। **जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं।** इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त गिरदावरी [illegible] 2074–77 सम्वत् 2074 – खरीफ गिरदावरी दिनांक 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर के अनुसार, पौधों के आधार मूल्य का मुआवजा प्राप्त करने का हकदार बनता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः **उक्त विवेचन स्पष्ट है कि** सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 13 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग के रूप में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि **सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 17.09.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 4,80,86,752/– अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भूमि की भूमि की प्रकृति/प्रकार एवं फसल की किस्म के आधार पर नहीं है।** इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 24.06.2022 को विधिक प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है, जो किसी भी प्रकार से बहाल करने योग्य नहीं है।

अतः **सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक 24.06.2022 से** तय मुआवाज राशि, अप्रार्थी हरबन्स सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। **सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, उक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण जांच करें और यदि दिनांक 02.0[illegible] को बाग अस्तित्व में था तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु [illegible] की बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों [illegible] प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई करें** एवं माननीय राजस्व मण्डल, [illegible]मेर की अधिसूचना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6.10(6)राजस्व–6 /98/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गिरदावरी का निरीक्षण करते समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों की गिरदावरी का भी निरीक्षण कर, अवार्ड जारी करें। इस आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:14 IST
Reason: SelfAttested